न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

दावा सं0 – 93/2019

प्रविष्टि दिनांक – 29.8.2019

उनवान

1. दानाराम पुत्र नारायण जाति मीणा, निवासी ग्राम मुण्डिया, तहसील निवाई जिला टोंक
2. सोहनलाल पुत्र नारायण जाति मीणा, निवासी ग्राम मुण्डिया, तहसील निवाई जिला टोंक

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय टोंक
2. तहसीलदार निवाई जिला टोंक
3. सडक परिवहन मंत्रालय राजमार्ग नई दिल्ली

प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री कौशल किशोर जाट–अभिभाषक वादीगण
श्री सतीश शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा बाबत–उदघोषणा खातेदारी तरमीम एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक–07.01.2025

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक वाद बाबत उदघोषणा, खातेदारी , तरमीम एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 3 की संयुक्त खातदेारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 635/1 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डिया तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। वादग्रस्त आराजी प्रकरण सं0 221/2009 दिनांक 4.6.2010 के अवार्ड आदेश से वादीगण के पिता की 5 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 3 के हक मे अवाप्त की गई जिसका नामान्तरकरण सं0 2111 दिनांक 2.11.2017 प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादी सं0 3 के हक मे तस्दीक किया गया, तत्समय लिपिकीय त्रुटि के कारण 4 बिस्वा के स्थान पर 7 बिस्वा भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी सं0 3 के हक मे राजस्व जमाबंदी मे अंकित हो गया जबकि अवाप्त शुदा भूमि 4 बिस्वा ही थी और वादीगण के नाम 7 बिस्वा के स्थान पर 4 बिस्वा भूमि का गलत अंकन हो गया। वादीगण का 7 बिस्वा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। अतः ख.न. 635/1 रकबा 11 बिस्वा भूमि ग्राम मुण्डिया, तहसील निवाई जिला टोंक मे से वादीगण को 7 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम अमल दरामद किया जावे तथा नक्शा ट्रेस मे पृथक से तरमीम किये जाने के आदेश दिये जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे किसी भी प्रकार से वादीगण को बेदखल नही करे तथा वादीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत नही करे।

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नकल जमाबंदी संवत 2067–2070, अवार्ड आदेश, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादी सं0 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रस्तुत प्रकरण मे खसरा नंबर 635 रकबा 0.0400 है0 भूमि वाके ग्राम मुण्डिया तहसील निवाई जिला टोंक की भी

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

अवाप्ति हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार क्षेत्र
नही है। वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण मे तहसीलदार निवाई पैरोकार सरकार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम मुण्डिया के
ख.न. 539/3 का मूल रकबा 3.06 बीघा एवं ख.न. 635 एवं 637 का कुल रकबा 1.03
बीघा था। सन 1989 मे प्रार्थी व सहखातेदार द्वारा उक्त ख.न. का सहमति से विभाजन कर
नामान्तरकरण सं0 788 दिनांक 25.6.1989 द्वारा खसरा नंबर 539/3 के 6 टुकडे (प्रत्येक 0.
11 बीघा) व 635 व ख.न.637 के तीन टुकडे प्रत्येक 0.11 बीघा हो गये। नामान्तरकरण सं0
1685 दिनांक 20.6.2012 द्वारा नवीन खसरानंबर 539/9, मे से 0.11 बीघा, ख.न. 539/11 मे
से 0.10 बीघा व ख.न. 539/12 मे से 0.03 बीघा कुल 1.04 बीघा भूमि सडक परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के नाम दर्ज हो गई। सडक परिवहन द्वारा ख.न. 539/3 मे से
0.30 है यानि 1.04 बीघा भूमि व खसरा नंबर 635 मे से 0.04 है0 भूमि अर्थात 0.04 बीघा भूमि
, खसरा नंबर 637 मे से 0.22 है यानि 0.17 बीघा भूमि अवाप्त की गई थी। जिसका अवार्ड
संलग्न है। ख.न. 635/1 ख.न. नं0 637/1, 635/2, ख. नं. 637/2 व 635/3 ख. नं.
637/3, के खातेदार ने मौके पर पूर्व से पश्चिम करते हुए तीन टुकडे कर रखे है जिसने से
635/1 ख. नं0 637/1 मे मौके पर लगभग 0.07 बीघा व 635/3 ख. नं. 637/3 ने मौके
पर 0.04 बीघा के आस पास खाली पडी है शेष भूमि एन एच मे जा चुकी है।

हमने दावे पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अधिवक्ता
वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेज यथा अवार्ड आदेश ,
भूमि अवाप्ति अधिकारी के पत्रांक 43–47 दिनांक 16.2.2017 एवं तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट
से स्पष्ट होता है कि ख.न. 635 मे से 4 बिस्वा भूमि की अवाप्ति की गई है लेकिन जमाबंदी
मे नामान्तरकरण के नोट मे 7 बिस्वा अंकित है। सडक परिवहन द्वारा प्रस्तुत जवाब मे भी 0.
04 है0 भूमि अवाप्त किया जाना अंकित है जो लगभग 3.16 बिस्वा है। इस प्रकार यह तो
स्पष्ट है कि 4 बिस्वा भूमि अवाप्ति की गई है लेकिन जमाबंदी मे 7 बिस्वा अंकित कर दिया
गया जो त्रुटिपूर्ण है। इस प्रकार वाद पत्र के तथ्य साबित होने कारण वादीगण उक्त त्रुटि को
दुरूस्त कराने का अधिकारी है। अतः न्यायालय वाद वादीगण विधि सम्मत होने साक्ष्य
दस्तावेज के आलोक मे स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः वाद वादीगण बाबत उदघोषणा, खातेदारी , तरमीन एवं स्थायी निषेधाज्ञा
को स्वीकार किया जाकर वादीगण को खसरा नंबर 635/1 रकबा 11 बिस्वा वाके ग्राम
मुण्डिया तहसील निवाई जिला टॉक का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार
निवाई को निर्देशित किया जाता है कि भूमि अवाप्ति अवार्ड आदेशानुसार सडक परिवहन
मंत्रालय राजमार्ग नई दिल्ली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप
राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस मे अंकन कर दुरूस्ती की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर
दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया
गया।

(सुरेश कुमार बरसालिया)
उपखण्ड अधिकारी,निवाई